राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

जयपुर, दिनांक 20 APR 2020

क्रमांकः प. 4 (8) कार्मिक/ख–3/2016

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.04.2020 द्वारा शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के दिनांक 20.04.2020 से मॉडिफाईड लॉक डाउन (Modified Lock Down) अवधि में कार्यालय (सचिवालय स्थित) में उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश दिये जाते है कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों में केवल उप शासन सचिव एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अधिकारी मय निजी स्टाफ सहित कार्यालय में उपस्थित होंगे। मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक तिहाई की सीमा में बारी (Rotation) के आधार पर कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नही होगी। किसी भी मंत्रालयिक कर्मचारी को आवश्यकता के आधार पर कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के कार्यालय पूर्ववत खुले रहेगे तथा उनके संबंध में कर्मचारियों की संख्या की कोई पाबन्दी नही होगी। शेष निर्देश पूर्ववत रहेगें।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. पंजीयक, शासन सचिवालय।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, कार्मिक (ख–3/सुरक्षा) विभाग।
5. कार्मिक विभाग के समस्त अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner